1	2	3	4
1 93-94	-do-	-do-	Sh. D.S. Mukhopadhyay Shri Inderjit Khanna, Secretary UGC.
1994- 95	-do-	Shri P. Thakur, JS, Deptt. of Edu.	Shri P. Thakur JS, Deptt. of Education Shri Inderjit Khanna (for SSH&WAD) Shri Durgadas Gupta Director (Universities) Deptt. of Education Dr. Tilak R. Kem, JS, UGC (for Canadian Studies)

सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे

4942. **श्री नरेश यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में कितने बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित पब्लिक स्कूलों में अपना नाम दर्ज कराते हैं तथा इस संबंध में अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ख) सरकारी विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों में बच्चों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या सरकारी विद्यालयों की तुलना में पब्लिक स्कूलों में उत्तीर्णता का प्रतिशत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी विद्यालयों में उत्तीर्णता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 6 से 14 आयु वर्ग के 96% बच्चे राजकीय विद्यालयों तथा स्थानीय निकायों एंव पंचायत राज संस्थानों द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकित थे तथा लगभग 4% बच्चे निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकित थे ।

(ख) से (घ) कक्षा V तथा VIII स्तर पर कई राज्यों में सार्वजनिक परीक्षायें आयोजित नहीं की जाती हैं । अतः तुलनात्मक स्थिति अथवा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है । वस्तुतः एक राज्य में कराये गये नमूना अध्ययन के अनुसार सरकारी विद्यालयों की उपलब्धियां, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की तुलना में काफी बेहतर पाई गई ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदान

4943. **श्री अजीत जोगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुदान की 50 प्रतिशत शेष राशि कितने स्वयंसेवी संगठनों को नहीं मिलती है;

(ख) राशि को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार के पास वितरण हेतु कुल कितनी धनराशि पड़ी है ; और

(घ) सरकार द्वारा इन संगठनों को शेष धनराशि अविलम्ब जारी करने के लिये क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमति बालवाराजेश्वरी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 248 स्वैच्छिक संगठनों ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से 50 प्रतिशत अनुदान की शेष राशि प्राप्त नहीं की हैं ।

(ख) कुछ विनिश्चत दस्तावेज जैसे लेखापरीक्षित लेखे तथा राज्य बोर्डों से टिप्पणियां आदि के प्राप्त न होने के कारण शेष अनुदान राशि निर्मुक्त नहीं की गई ।

(ग) वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास कोई राशि शेष नहीं हैं ।

(घ) संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को अपेक्षित सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करनें के लिये कहा गया है ।

महिलाओं से सम्बंधित कानूनों की समीक्षा

4944. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें हाल ही में महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें कुछ कामियां पाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कमियां को दूर करने के लिये इन कानूनों में संशोधन करनें का विचार रखती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्रीमति बालवा राजेश्वरी (क) से (घ) विषयों के आवंटनके आधार पर महिलाओं से संबंधित कानूनोंपर विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है । कानूनों की संवीक्षा एक सतत प्रक्रिया है । राष्ट्रीय महिला आयोग को, महिलाओं को संवैधानिक एव कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने वालें विभिन्न कानूनों की जांच करने का कार्य सौंपा गया हैं । आयोग की सिफारिशें संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजी जाती हैं । महिला एवं बाल विकास संबंधित मन्त्रालय/विभाग के परामर्श से चार विधानों की संवीक्षा कर रहा हैं जिनसे वह संबंधित हैं– यथा दहेज (निषध) अधिनियम, 1961, सती (निवारण) अधिनियम, 1987, स्त्री अशिष्ट निरूपण (निवारण) अधिनियम 1986 एवं अनतिक पणन (दमन) अधिनियम 1956 ।

Deteriorating condition of Jallianwaia Bagh

4945. SHRI VIRENDRA KATA-RIA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVEOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jallianwaia Bagh at Amritsar is reduced to a way side public park and it is not being properly maintained as a dignified memorial;

(b) whether the management at Amritsar feel handicapped by paucity of funds; and

(c) whether on 13th April, 1994, payment of Rs. two crore for the upliftment of the memorial was announced by H.R.D. Minister on behalf of the Prime Minister but most of the amount has not been released yet, if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir. No separate funds were provided in the budgetary provisions for 1994-95 and savings of this extent were not available during 1994-95.